

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
(स्वास्थ्य भवन)

Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/ x-03-00781/2024/252

दिनांक:- 31/5/24

-:: आदेश ::-

निम्नांकित कार्मिक जो 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	उर्मिला शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	शाहपुरा	21.07.1964	31.07.2024
2	अनिता वर्मा नर्सिंग अधिकारी	अजमेर	24.06.1964	30.06.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/ x-03-00781/2024/252

दिनांक:- 31/5/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर/शाहपुरा।
4. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. प्रभारी डी0पी0सी0/राज हैल्थ अनुभाग, मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
7467166

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :30-05-2024 06:50:24